5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

43

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

निग - 2903 - PBR-16

1– मोहम्मद आसीफ पिता एहमद जाति मुसलमान

2– जफर पिता एहमद जाति मुसलमान

दोनो का धंधा व्यापार व खेती निवासी बंजारी तह0 महू जिला इंदौर

........................निगरानीकर्तागण

बनाम

1– अलामुद्दीन पिता अलाउद्दीन जाति मुसलमान

2– सलाउद्दीन पिता अलाउद्दीन जाति मुसलमान

दोनो का धंधा खेती निवासी करोंदिया तह0 महू जिला इंदौर

..............................विपक्षीगण

द्वारा आज दि. 29.8.16 प्रस्तुत
29.8.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम भोंडिया तह0 व जिला धार में स्थित भूमि सर्वे नंबर 261/1/3 रकबा 1.300 हैक्टर, सर्वे नंबर 261/1/1 रकबा 0.790 हैक्टर के संबंध में यथाकथित अर्ज विपक्षीगण ने मूलतः दिनांक 07.06.2013 को पेश की जिसमें स्वयं ने 0.012 कडी व 0.025 कडी के बारे में नप्ती के आधार पर कब्जे की मांग की है जबकि नप्ती व्यर्थ व विचाराधिकार रहित है जबकि पूर्व के व्यवहार वाद में स्वयं रफीकन बी जो मूल प्रकरण में याचनाकर्ता थी जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/2013–14/अ–13 है उसमें स्वयं रफीकन बी ने उक्त रकबा उसका न होकर शासकीय है यह कहा व वाद किया। हमने भी एक व्यवहार वाद महू में किया और महू में तय हुआ कि जिस स्थान पर हमारी दिवाल बनी है व जहां दिवाल के बाद रफीकन बी की भूमि कही गई है व रफीकन बी का स्वर्गवास हो गया है उसके वारीस मूल मामले में रफीकन बी के न रहने पर इस निगरानी के प्रतिप्रार्थीगण है। उन्होने भी मूल अर्ज में कब्जे की माग की है ऐसी दशा में ऐसे प्रकरण में 27.06.2016 को यकायक जवाब के लिए प्रकरण था व बिना प्रकरण के नियत होते दिनांक 15.06.2016 को पेशी थी हमने नोट करी थीं नायब तहसीलदार महोदय ने यकायक 15.06.2016 व 27.06.2016 के बीच प्रकरण नही निकाला व मनचाहा उल्लेख किया यह आज्ञा व्यर्थ व विचाराधिकार रहित है यह मंशा किसी भी पक्ष की नही थी न उनका निवेदन था। ऐसी दशा में अपनी ओर से यह उल्लेख की तत्कालीन राजस्व निरीक्षक व पटवारी को पत्र जारी हो कि वे प्रतिवेदन पेश करे लिया जावे यह आज्ञा विचाराधिकार रहित है अवैध है प्रकरण का नेचर मूल कार्यवाही के लिए सबूत लेने का कार्य अदालत का नही है प्रार्थी कोई बात रखता है व विपक्षी इंकार करता है तो प्रकरण में वाद पद बनाकर प्रकरण पेश करना चाहिए। नायब तहसीलदार महोदय ने ग्राम

भोडिया की भूमि के संबंध दिनांक 27.06.2016 को दी जो अवैध विचाराधिकार रहित है उक्त आज्ञा से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर कानून सम्मत सादर सदभावनापूर्वक पेश है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला धार

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2903/पीबीआर/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	